

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, फैजाबाद।

पत्रांक:- 17857 फै०क्षे० / 74 याता०(सु०अ०वृत्त) / 16

दिनांक :- 17. 12.2016

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर-अमेठी वृत्त, लो०नि०वि०, सुल्तानपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद सुल्तानपुर में लखनऊ-आजमगढ़-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं०-34) के किमी०-165 (चैनेज 164.445 से 164.485) पर बांयी ओर ग्राम-गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद-सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या-46 पर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. जनपद सुल्तानपुर में लखनऊ-आजमगढ़-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं०-34) के किमी०-165 (चैनेज 164.445 से 164.485) पर बांयी ओर ग्राम-गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद-सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या-46 में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर के बाहर कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प / डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी० नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 ह्यूम पाईप / आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प / डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
7. लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
9. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सुल्तानपुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. एम०ओ०एस०टी० द्वारा जारी पत्रांक आर०डब्लू० / एन०एच० / 33023 / 19 / 99-डी०ओ०- ।।। दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आईआर०सी० कोड-12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
13. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या-4888 एम०टी० / सामान्य वर्ग / 40 एम०टी०-23 / 14 दिनांक 30.12.14 द्वारा विशेष सचिव, लो०नि०अनु०-12 उ०प्र०शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापति निवासी, ग्राम-उमरी, पोस्ट पौधनरामपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-कादीपुर, जिला-सुल्तानपुर पर बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर-अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर द्वारा का पत्रांक 3792/5 काम-सु0अ0वृ0/2016 दिनांक 15.12.16 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

छ/—
(आर0आर0सिंह),
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांक:- 17852 फै0क्षे0/74 याता0(सु0अ0वृत्त)/16

दिनांक :- 17.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
संलग्नक:- ड्राइंग की प्रती में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर-अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर द्वारा के पत्रांक 3792/5 काम-सु0अ0वृ0/2016 दिनांक 15.12.16 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

OW
17/12
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।